उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

पो0— गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार

Email :: examoneukpsc@gmail.com

पत्रांक ::35/16/E-1/D.R./(PCS-16)/2016-17, दिनाँक ::08 मई, 2019

सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा— 2016

साक्षात्कार —ज्ञाप

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विज्ञापन संख्या— A-2/E-1/PCS/2016-17, दिनाँक 08 अक्टूबर, 2016 के सापेक्ष सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा—2016 का परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति संख्या— 471/70/गोपन/पी0सी0एस0—16/2016—17, दिनाँक 27 मार्च, 2019 द्वारा घोषित किया गया। उक्त परीक्षा परिणाम के क्रम में आपका साक्षात्कार आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित साक्षात्कार—कार्यक्रम के अनुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित है।

2. इस साक्षात्कार ज्ञाप के साथ वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रपत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरते हुए समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियों के साथ साक्षात्कार के दिन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे— (क) विस्तृत आवेदन—पत्र (Detailed Application Form) (प्रपत्र संख्या—02) (ख) प्रमाणीकरण—प्रपत्र (Attestation Form) (प्रपत्र संख्या—03) (ग) देशना—पत्रक (Index Card) (प्रपत्र संख्या—04)।

3. अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि को निम्नलिखित मूल प्रमाण—पत्र व उक्त प्रमाण—पत्रों की स्व—हस्ताक्षरित छायाप्रति के साथ आयोग के अवलोकनार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। मूल प्रमाण—पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा :—

- **(i)** :: हाईस्कूल प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
- **(ii)** :: इण्टरमीडिएट प्रमाण—पत्र एवं अंक—तालिका।
- **(iii)** :: स्नातक उपाधि एवं समस्त वर्षों/सेमेस्टरों की अंक—तालिकाएं।
- **(iv)** :: अधिमानी अर्हताओं (Preferential Qualifications) सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- **(v)** :: ऑनलाईन भरे गये वरीयता प्रपत्र (Preference Sheet) की स्वप्रमाणित प्रति।
- **(vi)** :: स्थायी निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम् निर्धारित प्रारूप पर। उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित जाति प्रमाण पत्र प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि 25.10.2016 को वैध होना चाहिए।
- **(vii)** :: पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु शारीरिक मापदण्ड में नियमानुसार छूट हेतु पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र।
- **(viii)** :: जिला कमाण्डेन्ट होमगार्ड पद हेतु शारीरिक मापदण्ड में नियमानुसार छूट हेतु उत्तराखण्ड राज्य का अधिवास प्रमाण—पत्र।
- **(ix)** :: अधीक्षक कारागार पद हेतु शारीरिक मापदण्ड में नियमानुसार छूट हेतु उत्तराखण्ड राज्य का अधिवास प्रमाण—पत्र।

(x) :: सरकारी सेवा में सेवारत् है तो सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र मूल रूप में।

(xi) :: यदि अभ्यर्थी के नाम अथवा पिता के नाम में विभिन्न प्रमाण पत्रों में एकरूपता न हो, तो उक्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र मूल रूप में।

(xii) :: यदि अभ्यर्थी पूर्व सैनिक है, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की छायाप्रति अवश्य प्रस्तुत करें।

(xiii) :: साक्षात्कार प्रारम्भ होने के पूर्व अभ्यर्थी को साक्षात्कार शुल्क रू. 150.00 (आरक्षित वर्ग से रू. 60.00) आयोग कार्यालय के लेखा अनुभाग में नकद जमा करके रसीद प्राप्त करनी होगी।

(xiv) :: साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी पासपोर्ट साइज के नवीनतम दो स्व–प्रमाणित फोटोग्राफ अवश्य लाएं।

4. यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर दिखाना होगा, जो प्रस्तुत किये जाने की तिथि से छः माह पूर्व से अधिक का न हो।

5. विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

6. आयोग परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा तथा अन्य इलैक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषिद्ध है।

(सन्तोष कुमार यादव)
अनुभाग अधिकारी,
परीक्षा अनुभाग–01